अपील संख्या : 30/2017 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2017/00159
अनवान : प्रहलाद सिंह बनाम मदनगोपाल, स्टेट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.2.2021	अभिभाषकगण उपस्थित। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। यह अपील उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के अपीलाधीन आदेश दिनांक 14–03–2001 के विरूद्व पेश हुई है। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश धारा 136 एलआर एक्ट की व्यवस्था के विपरित है। ग्राम करणीसर भाटियान तहसील पूगल के पुराने ख.नं. 116 के नये खसरा नंबर 1305/2 की 2.18 हैक्ट., ख.नं. 1306 की 8.83 हैक्ट. एवं ख.नं. 1307 की 7.76 हैक्ट. किता 3 तादादी कुल 18.97 हैक्ट. अर्थात् 75 बीघा भूमि का नामान्तरकरण संख्या 388 दिनांक 04.06.2007 अपीलांट के नाम गैर खातेदार दर्ज किया गया तथा तहसीलदार भू.अ. पूगल के आदेश दिनांक 16.07.2015 की पालना में अपीलांट को खातेदारी अधिकार दिए जाने पर अपीलांट के नाम खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 772 दिनांक 03.08.2015 दर्ज कर दिया गया। उक्त खसरा नंबर के राजस्व रिकार्ड में रेस्पो. नंबर 01 का नाम दर्ज नहीं हुआ है। रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा आवंटन के आधार पर एक तरफ तो मेरी आवंटित, कब्जाकाश्त खातेदारी भूमि पर अपना हक जमाया है, दूसरी तरफ इसी खसरा नंबर 116 के नये खसरा नंबर 1402, 1403, 1404, 1405 एवं 1427 की 18.930 हैक्ट. भूमि पर अपना कब्जा काश्त बताते हुए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पूगल में राजस्व वाद दायर किया। जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पूगल ने अपने निर्णय दिनांक 19.07.2021 में तनकी संख्या 3 में प्रतिवादी संख्या 2 (प्रहलाद सिंह) को खसरा नंबर 116 में 75 बीघा आवंटन होना मानकर तनकी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 2 (प्रहलाद सिंह) के पक्ष में तय कर दी। अतः इसी बिन्दु के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। रेस्पोडेंट नं. 01 के विद्वान अभिभाषक श्री ज्ञानसिंह बिश्नोई ने जाहिर किया कि रेस्पोडेंट नं. 01 को आवंटित भूमि पर वही काबिज है, जो उसके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है। अपीलाधीन आदेश में अंकित भूमि से रेस्पोडेंट नं. 01 का कोई सारोकार नहीं है। अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।	

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। यह अपील उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के आदेश दिनांक 14.03.2001 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने आवंटन के आधार पर उसके कब्जा काश्त की पुराने खसरा नंबर 116 के अन्य नये खसरों की भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवा लिया है एवं अब अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.03.2001 की पालना नहीं करवाना चाहता है जिससे अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.03.2001 शून्य प्रभावी हो जाता है। उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.03.2001 निरस्त किया जाता है।

तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21.02.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर